FORM No. [illegible]

[illegible]

[illegible]

आर्डर शीट

[illegible]

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम खींवसर जिला नागौर

सुरेन्द्रसिंह बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] खातेदारी घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट

[illegible] 39 [illegible]

[illegible]	हुक्म या कार्यवाही	[illegible]
05.04.2019	वादीगण ने जरिये वकील प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व वाद बाबत बन्टवारा खातेदारी घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावे । मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 16.05.2019 को पेश हो । सहायक कलक्टर खींवसर	
16/5/19	[illegible] 18/7/19	
18/7/19	[illegible] 3/9/19	
3-9-19	[illegible] 12-9-19 [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30/1/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली मिसल शुमार होकर बाद जाब्ता दाखिल रिकार्ड हो। [signature] उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDO) ...

वाद प्रस्तुत होने एवं प्रतिवादीगण के नोटिस बाद चस्पा के (तामिल) प्राप्त होने के प्रश्चात, लय में नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होना यह दर्शाता है कि पक्षरान के मध्य पूर्व में हुए ज व्यक्तियों के मध्य मौखित बंटवाड़ा मजुंर है अगर प्रतिवादीगण को उक्त मौखिक बंटवाड़ा नहीं होता तो प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित होकर के अपनी उजरदारी या आपति प्रस्तुत और अधिकार रखते मगर ऐसा कुछ भी नंही हुआ न ही प्रतिवादीगण असालतन या वकालतन ालय में उपस्थित होकर अपना हक अधिकार रखा, इससे यही स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व में पक्षकारान के बीच बंटवाड़ा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को स्वीकार था मगर राजस्व रेकर्ड में ा अलग खातेदारी नहीं होने की वजह से उक्त वाद वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया इस र पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, साक्ष्य के शपथपत्रों एवं बहस के बाधार पर वादीगण का वाद ार वाद स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार की कोई कानुनी अड़चन/बाधा प्रतीत नहीं है। अतः वादीगण का वाद, वाद के पैरा संख्या 03 के उप पेरा अ,ब,स,द,य के अनुसार स्वीकार ा जाता है तथा इसी अनुसार दावा डिक्री किया जाता है ।

निर्णय

1. वादीगण 1 व 2 श्री सुरेन्द्रसिंह एवं भंवरकवंर के संयुक्त बंट में :– मौजा नाहरसिंहपुरा के खेत ख.न. 407 रकबा 38.05 बीघा में से 14.02 बीघा सम्पूर्ण खेत के उत्तरी तरफ का एवं मौजा पाचौड़ी के खेत ख.न. 8 रकबा 50.04 बीघा, में से 10.01 बीघा हुकमसिंह के चिपता पूर्वी तरफ का ख.न. 73 रकबा 107.09 बीघा में से 29.07 बीघा हुकमसिंह से चिपता पूर्वी तरफ का ख.न. 234 रकबा 06.08 बीघा में से 2.17 बीघा उत्तरी तरफ का सयुंक्त बंट कब्जा काश्त में बहिस्सा बराबर हक व खातेदारी घोषित की जाती है ।
2. प्रतिवादी संख्या 01 श्री आनंन्दसिंह के बंट में :– मौजा नाहरसिंहपुरा के खेत ख.न. 407 रकबा 38.05 बीघा में से 08.01 बीघा सम्पूर्ण खेत का पश्चिमी दक्षिणी तरफ का खेत ख. न. 417 रकबा 18.05 बीघा में से 06.01 बीघा सम्पूर्ण खेत का पश्चिमी दक्षिणी तरफ का व मौजा पाचौड़ी के ख.न. 08 रकबा 50.04 बीघा में से 13.01 बीघा वादीगण के बंट से पूर्वी तरफ का ख.न. 73 रकबा 107.09 बीघा में से 26.07 बीघा वादीगण के बंट से पूर्वी तरफ का ख.न. 234 रकबा 06.08 बीघा में से 02.18 बीघा दक्षिणी का हक कब्जा काश्त व खातेदारी घोषित की जाती है ।
3. प्रतिवादी संख्या 2 श्री हुक्मसिंह के बंट में :– मौजा नाहरसिंहपुरा के खेत ख.न. 407 रकबा 38.05 बीघा में से 08.01 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य की भूमि व ख.न. 417 रकबा 18.05 बीघा में से 06.01 बीघा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 व प्रतिवादी सं. 01 के मध्य की भूमि व मौजा पाचौड़ी के ख.न. 08 रकबा 50.04 बीघा में से रकबा 6.01 बीघा सम्पूर्ण खेत के पश्चिमी तरफ का ख.न. 73 रकबा 107.09 बीघा में से 33.07 बीघा सम्पूर्ण खेत के पश्चिमी तरफ का एवं खेत ख.न. 599 रकबा 03. 10 बीघा में से 2.18 बीघा उत्तरी तरफ का हक कब्जा काश्त व खातेदारी घोषित की जाती है ।
4. प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 श्री राजेन्द्रसिंह, कालूसिंह, मालमसिंह, माया कवंर के संयुक्त बंट में :– मौजा नाहरसिंहपुरा के खेत ख.न. 407 रकबा 38.05 बीघा में से 08.01 बीघा पूर्वी तरफ का ख.न. 417 रकबा 18.05 बीघा में से 06.02 बीघा पूर्वी तरफ का व मौजा पाचौड़ी के खेत ख.न. 08 रकबा 50.04 बीघा में से 21.01 बीघा सम्पूर्ण खेत के पूर्वी तरफ का ख.न. 73 रकबा 107.09 बीघा में से रकबा 18.08 बीघा सम्पूर्ण खेत के पश्चिमी तरफ का ख.न. 234 रकबा 6.08 बीघा में से 13 बिश्वा प्रतिवादी संख्या 01 के बंट में रखी भूमि से दक्षिणी तरफ का ख.न. 598 रकबा 01.13 बीघा सम्पूर्ण व ख.न. 599 रकबा 03.10 बीघा में से 12 बिश्वा दक्षिणी तरफ का हक कब्जा काश्त व खातेदारी घोषित की जाती है ।

5. मौजा पाचौड़ी के खेत ख.न. 235 रकबा 05.08 बीघा सभी पक्षकारान का संयुक्त बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा गया है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा रखा गया है।
6. वादग्रस्त आराजी में वादीगण के बंट कब्जा काश्त में एवं बैचान हस्तातंरण में दखलंदाजी नहीं करने बाबत् प्रतिवादगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है।

नोट :– उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी किसी भी बैंक में रहन हो तो, रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

सुरेश कुमार आरएएस
सहायक कलक्टर
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक 30.1.2020 को सरेइजलास सुनाया गया ।

सुरेश कुमार आरएएस
सहायक कलक्टर
खींवसर